

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक

संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0...../श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बांका को वर्ष 2012-13 के लिए 65% कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान ₹ 51550-1230-58930-1380-63070 में नियमित प्रोन्नति दी जाती है तथा उन्हें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधेपुरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0/ पटना-15, दिनांक

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0/ पटना-15, दिनांक 25-4-17

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-33256 दिनांक 12.05.2017 के प्रसंग में/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 12.07.2017 में मद संख्या-2 के प्रसंग में अनुपालन प्रतिवदेन/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बांका एवं मधेपुरा/श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बांका एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री अग्रवाल को निदेश है कि प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण हेतु विकल्प मौलिक नियमावली के नियम-FR-22 के तहत एक माह के अन्दर समर्पित करें अन्यथा प्रोन्नति की तिथि को नियमानुसार वेतन निर्धारण किया जायेगा।

28/4/17

सरकार के अवर सचिव।

o/c